

मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल
आदेश

क्रमांक-सीआर-9/92/म/31/953

भोपाल, दिनांक 8 जून, 1999

मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम 36 के परन्तुक के साथ पठित मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा सम्पूर्ण राज्य में विद्यमान एवं निर्मित किये जाने वाले समस्त तालाबों, नहरों आदि से, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट फसलों के लिये जल प्रदाय हेतु, उक्त अनुसूची के कालम (3) की तत्स्थानी पृविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट दर दिनांक 15.6.1999 से नियत करती है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई संकर्मों से कृषि प्रयोजन (बहाव एवं उद्वहन सिंचाई) के लिये जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची :-

अनु. क्र.	फसलों के नाम	जलदर प्रति एकड़ (रूपये में)
1.	धान-खरीफ	81
	धान-रबी	200
2.	गेहूँ	
	(1) पलेवा सहित अधिकतम तीन पानी	81
	(2) प्रत्येक अतिरिक्त पानी	25
3.	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	300
4.	हरी घांस वाली फसलें, मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ) सोयाबीन (खरीफ), तिल्ली, अरहर (खरीफ), उड़द	50
5.	धनिया, चना, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन (रबी), अरहर (रबी)	100
6.	कपास साधारण	70
	हायब्रीड (विपुल)	150
7.	जौ, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसून, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियाँ	200
8.	बरसीम घास (फाडर क्राप)	150
9.	जमीन तैयार करने के लिये पानी (पलेवा)	40

RECEIVED
M. P. WATER DEPT.
Dated 26/6/99
3059/W
26/6/99

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रणजीत चक्रवर्ती)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. क्रमांक सीआर-9/92/म/31/

भोपाल, दिनांक 8.6.1999.

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव म.प्र. शासन, भोपाल ।
- 2- उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल ।
- 3- समस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ।
- 4- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 5- समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, म0प्र0 ।
- 6- सचिव, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 7- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।
- 8- समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ।
- 9- समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ।
- 10- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल ।
- 11- निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीजी/मान. राज्यमंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल
- 12- समस्त उप सचिव/अवर सचिव/वि.क.अ. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 13- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, बाण गंगा वर्कशाप के पास, भोपाल ।


(एम.एल. विश्वकर्मा) 8.6.99

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्य)
मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग